स्वैच्छिक स्वास्थ्य संगठन, पंजाब

बनाम

भारत संघ व अन्य

(2006 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 349)

04 मार्च 2013

(के.एस. राधाकृष्णन और दीपक मिश्रा, जे.जे.)

गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकें (लिंग-चयन पर निषेध) अधिनियम, 1994 एसएस 7 और 16ए कन्या शिशु के प्रति भेदभाव, लिंग व चयनात्मक गर्भपात उन्मूलन के लिए प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकों का दुरूपयोग, उचित पर्यवेक्षण का आभाव और विभिन्न राज्यों द्वारा अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन - अधिनियम के प्रावधानों के उचित और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिये गये निर्देश साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए विभिन्न निर्देश सभी राज्य सरकारों को तीन महीने के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकें (लिंग-चयन पर निषेध) नियम, 1996 आर.आर. 3ए और 9(8)

के.एस. राधाकृष्णन, जे.

स्वास्थ्य और संबद्ध विषयों में पूछताछ केन्द्र बनाम भारत संघ (2001) 5 एससीसी 577: 2001 (3) एससीआर 534 और स्वास्थ्य संबद्ध

विषयों में पूछताछ केन्द्र बनाम भारत संघ (2003) 8 एस.सी.सी. 398: 2003 (3) पूरक एससीआर 593 संदर्भित किया गया है।

न्यायिक दृष्टांत संदर्भ

2001 (3) एससीआर 534 पैरा 3

2003 (3) पूरक एससीआर 593 को संदर्भित किया गया।

दीपक मिश्रा, जे.

स्वास्थ्य और संबद्ध विषयों की जांच के लिए केन्द्र

(सी.ई.एच.ए.टी. और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2001) 5 एससीसी 577: 2001(3) एससीआर 534: हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम निक्कू राम और अन्य (1995)6 एससीसी 219: 1995 (3) पूरक। एससीआर 177: एम.सी.मेहता बनाम तमिलनाडू राज्य और अन्य ए.आई.आर 1997 एस.सी.699 1996 (9) पूरक एससीआर 726 अजीत सांवत मजागवाई बनाम कर्नाटक राज्य (1997) की स्थिति। 7 एससीसी 110: 1997(3) पूरक। एससीआर 444 और मधु किशोर बनाम बिहार राज्य एआईआर 1996 एससी 1864 निर्दिष्ट की।

न्यायिक दृष्टांत संदर्भ

2001 (3) एससीआर 534 पैरा 4 में संदर्भित

1995 (3) सप्ल. एससीआर 177 पैरा 6,18 को संदर्भित करता है
1996 (9) आपूर्ति। एससीआर 726 पैरा 7 में संदर्भित है
1997 (3) सप्ल. एससीआर 444 पैरा 14 को संदर्भित करता है
1996 (1) आपूर्ति। एससीआर 442 पैरा 15 को संदर्भित करता है

- नागरिक मूल क्षेत्राधिकारः लिखित याचिका (सी) 2006 की संख्या 349 से

- भारत के धान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाकर्ताओं के लिए

- कॉलिन गोंजाल्विस, जुबली, ज्योति मेंदिरत्ता।

एच.पी. रावल, एएसजी , पी.एन. मिश्रा, डॉ. मनीश सिंघवी, अजय बंसल, मंजीत सिंह, एएजी, एस.डब्ल्यू. ए. कादरी, एम खैराती, सुनिता शर्मा, आशा जी. नायर, डी. एस. माहरा, गुणवन्त दारा, सीमा तुकुरत, सीमा थपलियाल, अभिषेक कुमार, अर्चना सिंह, अमित लुभाया, इरशाद अहमद, देवेन्द्र सिंह, कुलदीप सिंह, परदमन सिंह, गौरव यादव, राजीव, कुमार, तार.जी. सिंह, कमल मोहन गुप्ता, गोपाल सिंह, मनीष कुमार, चंदन कुमार, संजय बी, खारदे, अभिषेक कुमार पांडे, अमन अहलूवालिया, सुप्रिया जैन, सुषमा सूरी, वर्तिका सहाय वालिया (कॉपरेट लॉ ग्रुप के लिए) ख्वायरकपम नोबिन सिंह, सपम विश्वजीत मेइतेई, अर्जुन गर्ग, सौरभ मीशा, अरूणा माथुर, यूसुफ खान, अविजीत भट्टाचार्जी, विकास करगुप्ता, सरबानी कर, महेश बाबू, मयूर शाह,

सुचित्रा हंरगखॉल, अमित के. नैन, अमजिद मकबूल, अनिल श्रीवास्तव, ऋतुराज विश्वास, रचना श्रीवास्तव, उत्कर्ष शर्मा, बी. बालाजी, आर. राकेश शर्मा, पी.कृष्ण मूर्ति, के. एनातोली सेमा, अमित कुमार सिंह, भवानीशंकर वी. गडनिस, बी. सुनीता राव, हेमंतिका वाही, शुभदा देशपांडे, नंदनी गुप्ता, बी.जी. परगसम, एस.जे. अरस्तु, प्रभु रामसुब्रमण्यम, जतिंदर कुमार

भाटिया, मुकेश वर्मा, ए. सुभाशिनी, माइक पी. देसाई, अरूण के. सिन्हा, शिबाशीष मिश्रा, टी.हरीश कुमार। टी.वी. जॉर्ज, बालाजी शरीनिवासन, गौरव केजरीवाल, मिलिंद कुमार, पी.वी. योगेश्वरन, वी.एस. बंधिया, अरविंद कुमार शर्मा उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय के आदेश दिए गए थे।

आदेश

के.एस. राधाकृष्णन, जे.

1- भारतीय समाज में कन्या शिशु के प्रति भेदभाव अभी भी विभिन्न कारणों से मौजूद हैA जिसकी जड़ें सामाजिक व्यवहार और कन्या शिशु के प्रति पूर्वाग्रहों में हैं और दहेज प्रथा की बुराइयों के कारण इसके निषेध के बावजूद समाज में अभी भी प्रचलित है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम पूरे देश में कन्या शिशु अनुपात में गिरावट से एक अनूठा निष्कर्ष निकलता है कि प्रसव पूर्व निदान तकनीकों के उपयोग से कन्या भ्रूण को खत्म करने की प्रथा इस देश में व्यापक रूप से प्रचलित है। शिकायतें बहुत हैंA जहां कम से कम कुछ चिकित्सा पेशेवर लिंग चयनात्मक गर्भपात करते हैं, उन्हें पूरी जानकारी होती है कि गर्भपात का एकमात्र कारण कन्या भ्रूण है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1971 के प्रावधानों का भी जानबूझकर उल्लंघन और दुरुपयोग किया जा रहा है।

2- संसद इसे रोकना चाहती थी और उसने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग-चयन पर प्रतिबंध अधिनियम 1994 (संक्षेप

में अधिनियम अधिनियमित कियाA जिसकी जड़ें Hkkjr ds संविधान के अनुच्छेद 15¼2½ में हैंA यह अधिनियम एक कल्याणकारी विधान है। संसद इस तथ्य से पूरी तरह अवगत थी कि पुरुषों और महिलाओं के बीच बढ़ते असंतुलन के कारण महिलाओं के खिलाफ अपराध तस्करी यौन उत्पीड़न बहुविवाह आदि बढ़ रहे हैं। दुर्भाग्य से तथ्यों से पता चलता है कि अपराध के अपराधी भी शिक्षित मध्यम वर्ग से संबंधित हैं और अक्सर वे अपराध की गंभीरता को नहीं समझतेA

3- इस न्यायालय ने 2001 में सेंटर फॉर इंक्वायरी इनटू हेल्थ एंड अलाइड थीम्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2001 5 एससीसी 577 मामले में अधिनियम के दुरुपयोग को देखा था और इसके उचित कार्यान्वयन के लिए विभिन्न निर्देश दिए थे। सेंटर फॉर इंक्वायरी इनटू हेल्थ एंड अलाइड थीम्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2003 8 एससीसी 398 मामले में इस न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्देशों का गैर अनुपालन फिर से देखा गया और इस न्यायालय ने कई अन्य निर्देश दिए।

4- यह देखते हुए कि उन निर्देशों के साथ-साथ अधिनियम के प्रावधानों को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ठीक से लागू नहीं किया जा रहा हैA हमने 08-01-2013 को एक आदेश पारित किया जिसमें पंजाब हरियाणा एनसीटी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। दिल्ली राजस्थान उत्तर प्रदेश

बिहार और महाराष्ट्र को यह जांच करनी होगी कि उन्होंने अधिनियम के प्रावधानों के साथ&साथ इस न्यायालय द्वारा जारी विभिन्न निर्देशों के उचित और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए हैं।

5- हमने देखा है कि भले ही भारत संघ ने केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड का गठन किया है और अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अधिनियम के तहत राज्य पर्यवेक्षी बोर्ड उपयुक्त प्राधिकारी सलाहकार समितियों आदि का गठन किया है] लेकिन उनकी कार्यप्रणाली संतोषजनक नहीं है।

6- भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा प्रकाशित 2011 की भारत की जनगणना 2001&2011 तक भारत के कई राज्यों में महिला बाल लिंग अनुपात में गिरावट दिखाएगी। दिल्ली के एनसीटी के मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा प्रकाशित जन्म और मृत्यु के पंजीकरण पर वार्षिक रिपोर्ट 2009 भी लगभग सभी जिलों में महिला लिंग अनुपात में भारी गिरावट का संकेत देती है। उपरोक्त आँकड़े इस बात का संकेत हैं कि अधिनियम के प्रावधानों को ठीक से और प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है। अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कोई प्रभावी पर्यवेक्षण या अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई है। देश के लगभग सभी हिस्सों में विभिन्न सोनोग्राफी केंद्रों] जेनेटिक क्लीनिकों, जेनेटिक परामर्श केंद्रों] जेनेटिक प्रयोगशालाओं] अल्ट्रासोनिक क्लीनिकों इमेजिंग केंद्रों की स्थापना पर अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा अधिक

सतर्कता और ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्य से अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा उनके कामकाज की उचित निगरानी या पर्यवेक्षण नहीं किया जा रहा है या यह पता नहीं लगाया जा रहा है कि क्या वे भ्रूण के लिंग का निर्धारण करने के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीकों का दुरुपयोग कर रहे हैं जिससे भ्रूण हत्या हो रही है।

7- भारत संघ ने सितंबर 2011 में एक हलफनामा दायर किया है जिसमें अधिनियम और गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन पर प्रतिबंध नियम 1996 (संक्षेप में नियम के तहत शुरू किए गए अभियोजन का विवरण दिया गया है। जून 2011 तक। हमने चार्ट के साथ-साथ विभिन्न राज्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का अध्ययन किया हैA जो एक खेदजनक और चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है। विभिन्न राज्यों द्वारा अधिनियम के उचित पर्यवेक्षण और प्रभावी कार्यान्वयन की कमी इस न्यायालय को उपलब्ध कराए गए विवरणों से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती है। हालाँकि महाराष्ट्र राज्य का ट्रैक रिकॉर्ड तुलनात्मक रूप से बेहतर है। शायद ही कभी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करके ऐसे लिंग निर्धारण के लिए उपयोग की जाने वाली अल्ट्रासाउंड मशीनों को जब्त कर लिया जाता है और यदि जब्त भी कर लिया जाता हैA तो उन्हें केवल अपराध दोहराने के लिए कानून का उल्लंघन करने वालों को छोड़ दिया जाता है। मुश्किल से ही कुछ मामलों का अंत सजा तक होता है। इस अधिनियम के तहत दर्ज किए गए मामले

देश की कई अदालतों में कई वर्षों से निपटान के लिए लंबित हैं और कोई भी उनके निपटान में कोई दिलचस्पी नहीं लेता है और इसलिए शायद ही कभी उन मामलों का अंत दोषसिद्धि और सजा में होता हैA यह तथ्य कानून का उल्लंघन करने वालों को अच्छी तरह से पता है। कई अल्ट्रा सोनोग्राफी क्लीनिक नियमों के अनुसार शायद ही कोई रिकॉर्ड रखते हैं और गर्भवती महिलाओं के संबंध में उनके उपचार के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है और अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है।

8- केंद्र सरकार ने जीएसआर 80(ई) दिनांक 07-02-2022 के माध्यम से अधिनियम में संशोधन करने और पोर्टेबल अल्ट्रासोनिक मशीनों सहित भ्रूण के लिंग का पता लगाने में सक्षम मोबाइल मशीनों के उपयोग को विनियमित करने के लिए एक अधिसूचना जारी कीA सिवाय इसके कि उपयोग किए जाने पर रोगियों को जन्म सेवाएं प्रदान करने के मामले। मोबाइल मेडिकल यूनिट के हिस्से के रूप में अपने पंजीकृत परिसर के भीतर गुलदस्ता या अन्य चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। केंद्र सरकार ने जीएसआर 418(ई) दिनांक 04-06-2012 के माध्यम से आनुवंशिक क्लीनिकों, में चिकित्सा चिकित्सकों के अवैध पंजीकरण को विनियमित करने के उद्देश्य से एक नया नियम 3-3(3) डालकर एक संशोधन अधिसूचित किया है, और नियम 5(1) में भी संशोधन किया है। प्रत्येक आनुवंशिक क्लीनिकों, आनुवंशिक परामर्श केंद्र] आनुवंशिक

प्रयोगशाला,as] अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों, या इमेजिंग केंद्र के पंजीकरण के लिए आवेदन शुल्क में वृद्धि और नियम 13 में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी केंद्र द्वारा स्थान में प्रत्येक परिवर्तन की सूचना कर्मचारियों और पते की सूचना के लिए अग्रिम सूचना दी जाएगी। कई क्लीनिक उन संशोधनों से पूरी तरह अनजान हैं और उन्हीं प्रथाओं को अपना रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैंA

8-1 पीएन एंड पीएनडीटी अधिनियम की धारा 7 और 16 ए के तहत गठित केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यवेक्षी बोर्ड छह महीने में कम से कम एक बार बैठक करेंगे] ताकि पीएन एंड पीएनडीटी अधिनियम का कार्यान्वयन कितना प्रभावी है और इसकी निगरानी की जा सके।

8-2 राज्य सलाहकार समितियों और जिला सलाहकार समितियों को पीएन एंड पीएनडीटी अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित जानकारी एकत्र करनी चाहिए और यदि वे प्रावधानों का उल्लंघन देखते हैं तो रिकॉर्ड जब्त करने] मशीनों को सील करने और कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए कदम उठाना चाहिए। पीएन एंड पीएनडीटी अधिनियम।

8-3 ऊपर उल्लिखित समितियों को उचित कार्रवाई के लिए राज्य चिकित्सा परिषदों को लगाए गए आरोपों और अपराध करने वाले व्यक्तियों

की सजा का विवरण रिपोर्ट करना चाहिए A जिसमें यूनिट के पंजीकरण को निलंबित करना और अभ्यास करने के लिए लाइसेंस रद्द करना शामिल है।

8-4 अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकों और प्रक्रियाओं का उपयोग करने वाले सभी आनुवंशिक परामर्श केंद्रों] आनुवंशिक प्रयोगशालाओं और आनुवंशिक क्लीनिकों, बांझपन क्लीनिकों,] स्कैन केंद्रों आदि को सभी रिकॉर्ड और सभी रूपों को बनाए रखना चाहिए] जिन्हें बनाए रखना आवश्यक है। अधिनियम और नियमों के तहत और उसकी डुप्लिकेट प्रतियां नियमों के नियम 9(8) के अनुसार संबंधित जिला अधिकारियों को भेजी जाएंगी।

8-5 राज्यों और जिला सलाहकार बोर्डों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अल्ट्रासोनोग्राफी मशीनों के सभी निर्माता और विक्रेता किसी भी अपंजीकृत केंद्र को कोई मशीन न बेचें जैसा कि नियम 3 ए के तहत प्रदान किया गया है और संबंधित राज्य संघ को त्रैमासिक आधार पर खुलासा करना चाहिए। क्षेत्र और केंद्र सरकार अधिनियम के नियम 3,(2) के अनुसार उन व्यक्तियों की सूची जिन्हें मशीनें बेची गई हैं।

8-6 सभी आनुवंशिक परामर्श केंद्रों] आनुवंशिक प्रयोगशालाओं] क्लीनिकों,आदि को नियमों के तहत प्रदान किए गए फॉर्म ए] ई] एच और अन्य वैधानिक प्रपत्रों को बनाए रखने का निर्देश दिया जाएगा और यदि

इन प्रपत्रों को ठीक से बनाए नहीं रखा जाता है तो संबंधित अधिकारी } उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

8-7 राज्य सरकार और अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा तीन महीने के समय में सभी पंजीकृत और अपंजीकृत अल्ट्रा सोनोग्राफी क्लीनिकों] की मैपिंग के लिए भी कदम उठाए जाने चाहिए।

8-8 राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा राज्य और जिला स्तर पर कार्यशालाओं के साथ-साथ जागरूकता शिविर आयोजित करके लोगों को अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की आवश्यकता के बारे में शिक्षित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

8-9 अधिनियम के तहत न्यायालयों में लंबित विभिन्न मामलों की प्रगति की निगरानी करने और उनके शीघ्र निपटान के लिए कदम उठाने के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा विशेष सेल का गठन किया जाना चाहिए।

8-10 संबंधित अधिकारियों को उन मशीनों को जब्त करने के लिए कदम उठाना चाहिए जो अवैध रूप से और अधिनियम के प्रावधानों और उसके नियमों के विपरीत उपयोग की गई हैं और कानून के अनुसार जब्त की गई मशीनों को आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत जब्त किया जा सकता है और बेचा जा सकता है।

8-11 इस देश की विभिन्न अदालतों को अधिनियम के तहत सभी लंबित मामलों को छह महीने की अवधि के भीतर निपटाने के लिए कदम उठाना चाहिए। इस आदेश को विभिन्न उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रारों को सूचित करें] जो संबंधित न्यायालयों को उचित सूचना के साथ उचित अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे।

9- सभी राज्य सरकारों को आज से तीन महीने की अवधि के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

10- तदनुसार आदेश दिया गया।

आदेश

दीपक मिश्रा जे- मैं अपने आदरणीय विद्वान भाई द्वारा सिलसिलेवार ढंग से बताए गए चित्रण और निर्देशों से आदरपूर्वक सहमत हूं। हालाँकि मुद्दे की सार्थकता वर्तमान में समस्या की भयावहता और भविष्य में इस देश में आने वाली भारी तबाही को ध्यान में रखते हुए जब तक कि उचित जागरूकता नहीं फैलाई जाती मैं दिशा संख्या ¼8½ से संबंधित कुछ जोड़ने का इरादा रखता हूं।

2- एक व्यापक दृष्टिकोण के लिए मुझे लगता है कि यह उक्त दिशा को पुन प्रस्तुत करने जैसा प्रतीत होता हैA

8] राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा राज्य और जिला स्तर पर कार्यशालाओं के साथ-साथ जागरूकता शिविर

आयोजित करके लोगों को अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की आवश्यकता के बारे में शिक्षित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

3- यह सामान्य ज्ञान है कि राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश कभी कभी राज्य और जिला स्तर पर कार्यशालाओं के साथ साथ जागरूकता शिविर भी आयोजित करते हैं] जिनमें नियमित प्रदर्शन की विशेषता होती है] जिसमें ईमानदारी नहीं होती] गंभीरता नहीं होती और अर्थ का अभाव होता है। यह डेटा ओरिएंटेशन पर vk/kkfjr है। यह समझने के लिए सोलोमन की बुद्धि की आवश्यकता नहीं है कि अधिनियम के प्रावधानों का अभी तक प्रभावी कार्यान्वयन नहीं हुआ है] क्योंकि न केवल पूरी तरह से सुस्ती और ढिलाई हुई है] बल्कि अधिकारियों की ओर से सामाजिक] सांस्कृतिक] मनोवैज्ञानिक और कानूनी जागरूकता पर जोर देने में भी विफलता हुई है। कन्या भ्रूण को कानून के आदेश के अलावा कई अन्य कारणों से नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन पर प्रतिबंध अधिनियम 1994) संक्षिप्तता के लिए अधिनियम के उल्लंघन के लिए प्रदान किए गए कानूनी प्रावधानों और परिणामों के बारे में जागरूकता होनी चाहिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिनियम के उद्देश्यों को मूर्त रूप देने के लिए अन्य क्षेत्रों में जागरूकता नितांत आवश्यक है।

4- गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है कि यह कोर्ट अपनी चिंता दिखा रहा हैA ऐसा पहले भी किया जा चुका हैA सेंटर फॉर इंक्वायरी इन हेल्थ एंड अलाइड थीम्स (सीईएचएटी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य] दो न्यायाधीशों की बेंच ने यह कहते हुए फैसला सुनाया कि कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा अभी भी इस तथ्य के बावजूद प्रचलित है कि एक बेटी का हल्का स्पर्श और उसकी आवाज़ का माता पिता पर सुखद प्रभाव पड़ता है। कोर्ट ने इसके अनैतिक और अनैतिक हिस्से के साथ साथ एक लड़की के भ्रूण का गर्भपात करने के लिए योग्य और अयोग्य डॉक्टरों या कंपाउंडरों की भागीदारी पर भी टिप्पणी की। यहां यह बताना समीचीन होगा कि उक्त निर्णय में कुछ निर्देश दिये गये थे।

5- कन्या भ्रूण हत्या की जड़ें सामाजिक सोच में हैं जो मूल रूप से कुछ गलत धारणाओं] अहंकार केंद्रित परंपराओं] सामाजिक मानदंडों की विकृत धारणा और उन विचारों के प्रति जुनून पर आधारित है जो सामूहिक भलाई के बिना पूरी तरह से व्यक्तिवादी हैं। कन्या भ्रूण हत्या में शामिल सभी लोग जानबूझकर यह समझना भूल जाते हैं कि जब एक लड़की का भ्रूण नष्ट हो जाता है तो भविष्य की एक महिला को सूली पर चढ़ा दिया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वर्तमान पीढ़ी स्वयं कष्टों को आमंत्रित करती है और भावी पीढ़ी के लिए कष्टों के बीज भी बोती है क्योंकि अंततः लिंग अनुपात प्रभावित होता है और कई गुना सामाजिक समस्याएं पैदा होती हैं। मैं यह कहने में जल्दबाजी कर सकता हूं कि कोई भी जागरूकता

अभियान तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि महिलाओं की शक्ति और महिला सशक्तीकरण की आवश्यकता पर वास्तविक ध्यान केंद्रित न किया जाए।

6- इस न्यायालय ने कई अवसरों पर इस समस्या पर कई क्षेत्रों में अपनी पीड़ा व्यक्त की है। अपराध होने के बावजूद शादी के समय लड़की के माता पिता से दहेज की मांग की दुर्भाग्यपूर्ण परंपरा से निपटते हुए एचपी राज्य बनाम निक्कू राम और अन्य के] मामले में दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने अपनी पीड़ा इस प्रकार व्यक्त की हैA

> दहेज] दहेज और दहेज यह एक दर्दनाक पुनरावृत्ति है जो हमारी इस पवित्र भूमि में एक लड़की के कई माता पिता को परेशान करती है और कभी कभी परेशान करती है जहां अच्छे पुराने दिनों में यह विश्वास था] & यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः] (जहाँ नारी की पूजा होती है] वहाँ भगवान का निवास होता है। दहेज का जिक्र हम तीन बार कर चुके हैं] क्योंकि यह मांग तीन मौकों पर की जाती है (¼1½ शादी से पहले] ¼2½ विवाह के समय और ¼3½ शादी के बाद A

लालच असीमित होने के कारण कई मामलों में मांगें अतृप्त हो जाती हैंA जिसके बाद लड़की पर अत्याचार होता है] जिससे कुछ मामलों में या तो आत्महत्या हो जाती है या कुछ में हत्या हो जाती है। उपरोक्त अनुच्छेद

स्पष्ट रूप से इस देश में महिलाओं के साथ होने वाले व्यवहार के संबंध में इस न्यायालय की पीड़ा की डिग्री को दर्शाता है।

7- यहां यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि लड़की के संबंध में सीमित और संकुचित सोच अंततः कन्या भ्रूण हत्या की ओर ले जाती है। गर्भ में पल रहे भ्रूण को क्योंकि उसके लड़की के रूप में जन्म लेने की संभावना है] उसे धरती माता को देखने की अनुमति नहीं है। एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य] में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने विभिन्न खतरनाक कारखानों या खानों आदि में बाल श्रम की संलिप्तता की समस्या की भयावहता से निपटते हुए हंसारिया जे- के माध्यम से बात की। निर्णय की शुरुआत इस प्रकार हुई&

मैं बच्चा हूँ।

सारे शब्द मेरे आने का इंतज़ार करते है।

सारी पृथ्वी उत्सुकता से देखेगी है कि मैं क्या बनूँगा।

सभ्यता संतुलन में अटकी हुई हैं।

क्योंकि मैं जो हूं कल की दुनिया भी वैसी ही होगी।

मैं बच्चा हूं।

तुम्हारे हाथ में मेरा भविष्य है।

आप ही निर्धारित करते हैं मोटे तौर पर] मैं सफल होऊंगा या असफल A मुझे दीजिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं] ये चीजें जो खुशी का कारण बनती हैं।

मैं तुझ से बिनती करता हूं कि मुझे प्रशिक्षित कर कि मैं जगत के लिये आशीष बनूं।

8- मैमी जीन कोल की उपरोक्त पंक्तियों को इस न्यायालय द्वारा एक अपील के रूप में माना गया और बेंच ने विलियम वड्र्सवर्थ की प्रसिद्ध पंक्ति बच्चा आदमी का पिता है] को दोहराया। मैंने इसे यह उजागर करने के लिए पुन% प्रस्तुत किया है कि इस न्यायालय ने बच्चा शब्द पर विशेष जोर दिया है क्योंकि एक बच्चा को लगता है कि पूरी दुनिया उसके आने का इंतजार कर रही है। एक कन्या जैसा कि पहले कहा गया है] एक महिला बन जाती है। इसकी जीवन चिंगारी को गर्भ में नहीं बुझाया जा सकता क्योंकि ऐसा कृत्य निश्चित रूप से समाज के लिए विनाश लाएगा। ऐसी हरकत पर सामूहिक न तो आज हंस सकता है और न ही कल हर तरफ आँसू ही आँसू होंगे क्योंकि अंततः मानवता की भावना बेहोश हो गई है।

9- विश्वकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने एक बालक के बारे में बोलते हुए इस प्रकार कहा था&

प्रत्येक बच्चा यह संदेश लेकर आता है कि ईश्वर अभी भी मनुष्य से हतोत्साहित नहीं हुआ है।

10- बहुत समय पहले मानव शिशु के बारे में बोलते हुए चार्ल्स डिकेंस ने इस प्रकार कहा था&

दुनिया में पैदा हुआ हर बच्चा पिछले बच्चे से बेहतर होता है।

11- ,d स्त्री को पुरुष के जीवन में बराबर का भागीदार मानना यह बात ध्यान में रखनी होगी कि समाज में उसकी भी बराबर की भूमिका है यानी होगा। सोच भागीदारी और नेतृत्व। विधायिका ने गर्भधारण से पहले या बाद में लिंग चयन पर रोक लगाने और आनुवंशिक असामान्यताओं या चयापचय संबंधी विकारों या क्रोमोसोमल असामान्यताओं या कुछ जन्मजात विकृतियों का पता लगाने के प्रयोजनों के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीकों के विनियमन के लिए कानून का वर्तमान टुकड़ा लाया है। लिंग संबंधित विकार और लिंग निर्धारण के लिए उनके दुरुपयोग की रोकथाम के लिए जिससे कन्या भ्रूण हत्या होती है। अधिनियम का उद्देश्य तभी साकार हो सकता है और इसके उद्देश्य को फलदायी रूप से तभी साकार किया जा सकता है जब अधिनियम के तहत अधिकारी अपने कार्यों को भक्ति] समर्पण

और प्रतिबद्धता के साथ करते हैं और समाज में महिलाओं की भूमिका के संबंध में जागरूकता जागृत होती है।

12- यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो समाज अपनी महिलाओं का सम्मान नहीं करता] उसे सभ्य नहीं माना जा सकता। पिछली शताब्दी के प्रथम भाग में स्वामी विवेकानन्द ने कहा था&

]जिस प्रकार एक पक्षी केवल एक पंख के साथ नहीं उड़ सकता] उसी प्रकार यदि महिलाओं को पीछे छोड़ दिया जाए तो एक राष्ट्र आगे नहीं बढ़ पाएगा]A

13- जब कन्या भ्रूण हत्या होती है] तो बच्चे की मां बनने वाली हर महिला को यह याद रखना चाहिए कि वह मां होने के बावजूद अपने बच्चे को मार रही है। सामाजिक दृष्टि से गर्भपात का यही अर्थ होगा। एक कन्या का गर्भपात अंततः एक महिला की हत्या का कारण बनता है। कानून इस पर रोक लगाता हैA शास्त्र इसका निषेध करते हैंA दर्शनशास्त्र इसकी निंदा करता हैA नैतिकता इसकी निंदा करती हैA नैतिकता इसकी निंदा करती है और सामाजिक विज्ञान इसका तिरस्कार करता है। हेनरिक इबसेन ने स्त्री के व्यक्तिवाद पर बल दिया। जॉन मिल्टन ने उसे ईश्वर के सभी कार्यों में सर्वश्रेष्ठ माना। इस सन्दर्भ में एलेक्सिस डी टोकेविले की डेमोक्रेसी इन अमेरिका से कुछ पंक्तियाँ उद्धृत करना उचित होगाA

,,अगर मुझसे पूछा जाए ..... कि क्या मुख्य रूप से उन अमेरिकियों लोगों को उनकी विलक्षण समृद्धि और बढ़ती ताकत के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए तो मुझे जवाब देना चाहिए उनकी कि उनकी महिलाओं की श्रेष्ठता के लिए।,,

14- इस स्तर पर मैं लाभ के साथ अजीत सावंत माजगवई बनाम कर्नाटक राज्य से दो पैराग्राफ पुन% प्रस्तुत कर सकता हूंA

3[सामाजिक विचारको] दार्शनिकों] नाटककारों] कवियों और लेखकों ने मानव जाति की नारी प्रजाति की प्रशंसा की है और उसके स्वभाव और व्यक्तित्व का वर्णन करने के लिए हमेशा सुंदर विशेषणों का इस्तेमाल किया है और कभी कभी उसके अजीब व्यवहार के बारे में बात करते हुए भी उस रास्ते से नहीं हटे हैं। व्यंग्य में भी उन्होंने साहित्यिक सीमा का उल्लंघन नहीं किया है और भाषा के बड़प्पन के एक विशेष मानक का पालन किया है। यहां तक कि जब उनकी ही प्रजाति के एक सदस्य मैडम डी स्टेल ने टिप्पणी कीA मुझे खुशी है कि मैं एक आदमी नहीं हूं] क्योंकि तब तो मुझे एक औरत से शादी करनी होगीA इसमें समझदारी थी। जब शेक्सपियर ने लिखा उम्र उसे सुखा नहीं सकती न ही रिति रिवाज उसकी अनंत विविधताऐं बासी है, वहाँ फिर से बुद्धि थी। भले ही इन लेखकों ने महिला के सम्मान

के लिए ज़ोर ज़ोर से रोना रोया होA इसके बावजूद कि शिलर ने कहा था महिलाओं का सम्मान करें! वे हमारे सांसारिक जीवन में स्वर्गीय गुलाबों को गूंथते और बुनते हैं और इसके बावजूद कि महाभारत में उन्हें मुक्ति के स्रोत के रूप में वर्णित किया गया हैA]महिला"के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और आज निस्संदेह खतरनाक अनुपात में बढ़ गए हैं।

4- यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस युग में जहां लोगों को सभ्य बताया जाता है] मादा के खिलाफ अपराध तब भी किया जाता है जब बच्चा गर्भ में होता है क्योंकि मादा बच्चे के जन्म को रोकने के लिए अक्सर मादा भ्रूण को नष्ट कर दिया जाता है। यदि वह संतान अस्तित्व में आती है तो वह एक बेटी के रूप में अपना जीवन शुरू करती है] फिर एक पत्नी और समय के साथ एक माँ बन जाती है। वह अपने शिशु को पालने के लिए पालने में झुलाती है] बच्चे को अपना सारा प्यार देती है और जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है] वह बच्चे को वह सब कुछ देती है जो उसके अपने व्यक्तित्व में है। वह बच्चे के भाग्य और चरित्र को आकार देती है। ऐसे प्राणी के प्रति क्रूरता अकल्पनीय है। एक पत्नी को कष्ट देना ekuork का सबसे घृणित और उपहासपूर्ण कृत्य ही कहा जा सकता है।"

(जोर दिया गया)

15- मधु किश्वर बनाम बिहार राज्य] में इस न्यायालय ने कहा था कि भारतीय महिलाओं ने चुपचाप भेदभाव सहा है और झेल रही हैं। आत्म बलिदान और आत्मत्याग उनका बड़प्पन और धैर्य है और फिर भी उन्हें सभी असमानताओं] अपमान] असमानता और भेदभाव का सामना करना पड़ा है।

16- जिस तरह से महिलाओं को पीड़ित किया गया था] उसे एक लेखक ने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ व्यक्त किया हैA

> [दहेज महिलाओं के लिए एक असाध्य रोग है] आत्मसम्मान को नष्ट करने के लिए तीरों की शैया है] लेकिन इच्छा मृत्यु के वरदान के बिना।

17- बहुत पहले चार्ल्स फ़ोरियर ने कहा था कि महिलाओं के अधिकारों का विस्तार सभी सामाजिक प्रगति का मूल सिद्धांत हैA

18- अतीत को याद करते हुए मैं स्मृतियों में कुछ कहावतों का उल्लेख कर सकता हूं जो महिलाओं को ऊंचे स्थान पर रखती हैं। निक्कू राम के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय ने पहले ही श्लोक की पहली पंक्ति को पुन% प्रस्तुत कर दिया था। उसी की दूसरी पंक्ति जो महत्वपूर्ण है वह इस प्रकार है&

[यत्र तस्तु न पूज्यन्ते सर्वस्तत्राफलाः क्रियाः]

उपरोक्त का निःशुल्क अनुवाद इस प्रकार है&

सभी कार्य उस स्थान पर अनुत्पादक हो जाते हैं जहां उनके साथ उचित सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार नहीं किया जाता है।

19- अतीत के एक अन्य बुद्धिमान व्यक्ति का इसे कहने का अपना तरीका थाA

भतृभ्रातृपितृज्ञाति स्वस्रूस्वासुरदेवरै

बन्धुभिश्च स्त्रीः पूज्यः भूषणच्चादनसनैः।

उपरोक्त का निःशुल्क अनुवाद इस प्रकार है&

महिलाओं को पतियों] भाइयों] पिता] रिश्तेदारों] ससुराल वालों और अन्य रिश्तेदारों के बराबर सम्मान दिया जाना चाहिए और सम्मान करते समय महिलाओं को सम्मान के प्रतीक के रूप में गहने वस्त्र आदि उपहार दिए जाने चाहिए।

20- एक बार फिर बुद्धिमत्ता निम्नलिखित पंक्तियों में परिलक्षित हुई A

अतुलम् यत्र तत्तेजः सर्वदेवसरिराजम्A

एकस्थं तदभुन्नारी व्यासलोकत्रयं त्विसा AA

उपरोक्त का एक निःशुल्क अनुवाद नीचे दिया गया हैA

सभी देवताओं के शारीरिक ढाँचे से उत्पन्न अतुलनीय वीरता (तेज ने अपनी चमक से तीनों लोकों को फैलाया और एक साथ मिलकर एक महिला का रूप धारण किया।

21- अतीत से मैं वर्तमान की ओर यात्रा करता हूं और सम्मानपूर्वक गौर करता हूं कि महिलाओं की समानता और समाज में उनकी भूमिका के बारे में लॉर्ड डेनिंग ने क्या कहा था&

एक महिला भी उतनी ही उत्सुकता से महसूस करती है] उतनी ही स्पष्टता से सोचती है] जितना एक पुरुष। वह अपने क्षेत्र में उतना ही उपयोगी कार्य करती है जितना मनुष्य अपने क्षेत्र में करता है। उसे अपनी स्वतंत्रता का उतना ही अधिकार है] अपने व्यक्तित्व को एक पुरुष के रूप में पूर्ण रूप से विकसित करने का। जब वह शादी करती है तो वह पति की नौकरानी नहीं बल्कि उसकी बराबर की भागीदार बन जाती है। यदि उसका काम समुदाय के जीवन में अधिक महत्वपूर्ण है] तो उसका परिवार के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। कोई भी दूसरे के बिना नहीं रह

सकता। न तो एक दूसरे के ऊपर है और न ही दूसरे के नीचे। वे समान हैं।"

22- मैंने इस न्यायालय की कुछ घोषणाओं बच्चों और महिलाओं के बारे में बुद्धिमान लोगों] विचारकों] कवियों] दार्शनिकों और न्यायविदों की बातों का उल्लेख केवल इस बात पर जोर देने के लिए किया है कि वे समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक बच्चे की मासूमियत और एक महिला की रचनात्मक बुद्धिमत्ता को कभी भी दरकिनार या हाशिए पर नहीं रखा जा सकता है। किसी भी देश की सभ्यता से पता चलता है कि वह अपनी महिलाओं का कितना सम्मान करता है। यह आज की आवश्यकता है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि महिलाओं के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार करना अनिवार्य है ताकि मानवतावाद अपनी वैचारिक अनिवार्यता में जीवित रहे। आधुनिक संदर्भ में समाज के प्रत्येक सदस्य को वैज्ञानिक सोच विकसित करने की आवश्यकता है क्योंकि यही वर्तमान की सामाजिक आवश्यकता है। एक कॉस्मेटिक जागरूकता अभियान कभी भी उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा। सरकारी अधिकारियों] गैरसरकारी संगठनों और अन्य स्वयंसेवकों को यह याद रखना आवश्यक है कि ऐसे जागरूकता शिविर होने चाहिए

जो वास्तव में प्रभावी हों। इससे जुड़े लोगों को इसे एक सेवा एक धर्मयुद्ध के रूप में लेना चाहिए। उन्हें यह समझना और स्वीकार करना होगा कि यह एक कला के साथ-साथ एक विज्ञान भी है और साधारण अंकगणित नहीं है। यह सामान्य भाषण का रंग नहीं ले सकताA जागरूकता शिविरों की स्थापना यूक्लिडियन ज्यामिति के सिद्धांत पर नहीं की जानी चाहिए। इसे एक विश्लेषणात्मक दिमाग के साथ सामाजिक सतर्कता की अवधारणा को समाहित करना चाहिए और समाज के मज्जा में प्रसारित करना चाहिए। यदि जागरूकता अभियान उचित ढंग से नहीं चलाए गए तो लोगों के लिए आवश्यक मार्गदर्शन अर्थहीन होगा और चीजें बिखर जाएंगी और हर कोई निंदक पलायनवाद में आश्रय लेने का प्रयास करेगा।

यह स्पष्ट रूप से बताना मुश्किल है कि जागरूकता शिविर कैसे आयोजित किया जाएगा। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि किस प्रकार और किस स्तर के लोगों को संबोधित किया जा रहा है। इस तरह के जागरूकता अभियान में शामिल व्यक्तियों को खुद को संवैधानिक अवधारणाओं संस्कृति] दर्शन] धर्म] शास्त्रीय आदेशों और निषेधाज्ञाओं अधिनियम के तहत दिए गए कानून के जनादेश और सबसे बढ़कर आधुनिक विज्ञान के विकास से लैस करना आवश्यक है। यह बताने के लिए कोई विशेष जोर

देने की आवश्यकता नहीं है कि जागरूकता शिविरों में जहां कानून के निवारक पहलुओं पर जोर देने की आवश्यकता होती हैA वहीं साथ ही आध्यात्मिक श्रद्धा के साथ कानून का पालन करने की वांछनीयता अधिनियम के उद्देश्य के संबंध में भी जोर दिया जाना चाहिए। ऊपर। प्रतीत होता है कि सिंक्रनाइज़ेशन आवश्यक प्रभाव लाएगा। इसके अलावा आवश्यकता को उजागर करने के लिए वृत्तचित्र फिल्में भी दिखाई जा सकती हैं और इस विचार को बड़े पैमाने पर जनता के मन में स्थापित करें क्योंकि जब मन मजबूत हो जाता है] तो पहाड़ पिघल जाते हैं। जागरूकता अभियान में शामिल लोगों में साहस और साहस होना चाहिए। उनके विचार या कार्य में रत्ती भर भी भ्रम या व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। उन्हें इसे एक समस्या के रूप में लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि समाधान के लिए समस्या को उचित तरीके से समझना होगा। उन्हें यह ध्यान में रखना चाहिए कि उन्हें लोगों की मानसिकता समाज के व्याकरण और आबादी में निहित अस्वीकार्य मान्यताओं को बदलने की आवश्यकता है। यह स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि कन्या भ्रूण हत्या मानव जाति का सबसे खराब प्रकार का अमानवीयकरण है।

23- मैंने उपरोक्त पहलुओं पर प्रकाश डाला है ताकि जब जागरूकता अभियान चलाए जाएं तो उन्हें ध्यान में रखा जाए] क्योंकि वास्तविक जागरूकता का उद्देश्य यही है।

24- मामले को निर्देशानुसार सूचीबद्ध किया जाए।

स्वैच्छिक स्वास्थ्य संगठन, पंजाब बनाम भारत संघ व अन्य

- इस निर्णय का अनुवाद श्रीमती गुंजन गोयल, एसीएमएम, आर्थिक अपराध, जयपुर महानगर द्वितीय द्वारा किया गया है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक,गुंजन गोयल (न्यायिक अधिकारी) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः- यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंगे्रजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।